

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या -109/2021

(Bank Case)

GCMS NO - 2021/

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनैन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है।

- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स एसएस मिनरल्स, जरिये प्रोपराईटर- शफीक मोहम्मद (ऋणी)
पता:- ट्रांसपोर्ट नगर, 4 बोम्बे योजना, सुभाष नगर, कोटा राजस्थान-324005
2. शफीक मोहम्मद पुत्र श्री ख्वाजू मोहम्मद (ऋण-बंधककर्ता)
दूसरा पता- प्लॉट नं. 4, सुभाष नगर, मेन रोड, बोम्बे योजना के पास, कोटा राजस्थान-324005
दूसरा पता- प्लॉट नं. 12/3, नोर्थ साईड, मीडिल शॉप, मोटर रिपेयर वर्कशॉप एण्ड शोरूम स्कीम, जिला कोटा राजस्थान

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 27-10-2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनैन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है, से प्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था 30 नवम्बर 2019 को 7,50,000/- रुपये (अक्षरे सात लाख पचास हजार रुपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में शफीक मोहम्मद पुत्र श्री ख्वाजू मोहम्मद की सम्पत्ति प्लॉट नं. 12/3, नोर्थ साईड, मीडिल शॉप, मोटर रिपेयर वर्कशॉप एण्ड शोरूम स्कीम, जिला कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 93.9 स्क्वायर फुट है, चतुर्थ सीमा पूर्व में अन्य प्लॉट, पश्चिम में रोड, उत्तर में प्लॉट नं. 87, दक्षिण में प्लॉट नं. 85, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 12.03.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में बकाया राशि- 7,99,340/- रुपये अक्षरे सात लाख नव्यावे हजार तीन सौ चालीस रुपये दिनांक 22.05.2021 तक शेष देय है व दिनांक 23.05.2021 से आगे का ब्याज व मय खर्च आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 24.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को

प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 24.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 24.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता शफीक मोहम्मद पुत्र श्री ख्वाजू मोहम्मद की सम्पत्ति प्लॉट नं. 12/3, नोर्थ साईड, मीडिल शॉप, मोटर रिपेयर वर्कशॉप एण्ड शोरूम स्कीम, जिला कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 93.9 स्क्वायर फुट है, चतुर्थ सीमा पूर्व में अन्य प्लॉट, पश्चिम में रोड, उत्तर में प्लॉट नं. 87, दक्षिण में प्लॉट नं. 85 है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 27-10-2021 को सुनाया गया।

32/10/21
(उज्ज्वल राठी)

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राजस्थान)